क्षेत्रीय निदेशक का संदेश

श्री पी.बी.मणि, क्षेत्रीय निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 स्वतंत्र भारत का पहला सामाजिक सुरक्षा विधेयक था। इस अधिनियम में संगठित क्षेत्र में कार्यरत बीमाकृत व्यक्तियों को उनकी जरूरतों के समय चिकित्सा और नकद हितलाभ देने की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हमारे पणधारियों–नियोजकों तथा बीमाकृत व्यक्तियों को कुशल एवं सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम के तहत तेजी से बढ़ती व्याप्ति, इस योजना के प्रति पणधारियों से प्राप्त हो रहे सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। हाल ही में निगम के आई टी समर्थ कार्यक्रम हमारे पणधारियों को एक माउस के क्लिक से निगम संबंधी सभी जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। मैं आशा करता हूँ कि क्षेत्रीय कार्यालय की यह वेबसाइट हमारे कार्यो में होनेवाली नवीनतम प्रगतियों की जानकारियों से अद्यतन रखने के साथ ही कुशल सेवा प्रदान करने में सक्षम रहेगी।